



अंत्योदय – सरल



हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड

पुनः आबंटन पत्र जारी करना

(सेवा)

योग्यता

मंडियों में किसी प्लॉट/सम्पत्ति का मालिक।

प्रदान किया गया लाभ

किसी भी मार्केट कमेटी में प्लॉट/सम्पत्ति धारक अपना आबंटन पत्र गुम होने की स्थिति में संबंधित मार्केट कमेटी से पुनः आबंटन पत्र जारी करवाने के लिए इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

आवश्यक कागजात

1. परिवार पहचान पत्र
2. पहचान प्रमाण यानि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, (इनमें से कोई एक)
3. आवेदक से विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र ।
4. दैनिक डायरी रजिस्टर (डी.डी.आर.)/ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) ।
5. वचनबंदधता/स्वयं घोषणा प्रमाणित पत्र ।
6. हस्तांतरण विलेख / हस्तांतरण पत्र/ बिक्री विलेख पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति (जैसा लागू हो)

सेवा के लिए शुल्क

सरकारी फीस	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई फीस नहीं	30/-रु0 प्रति आवेदन	30/-रु0 प्रति आवेदन

आर.टी.एस. समय सीमा: 30 दिन